राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

53वीं बैठक दिनांक 01 जून, 2015 से संबंधित कार्य बिन्दु

<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>कार्य बिन्दु</th><th>कृत कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
ग) अटल पेंशन योजना
उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत दिनांक
30 जून, 2015 तक अधिक से अधिक “बैंक बचत खाताधारकों” का पंजीकरण करवाकर उनके बीमा प्रीमियम राशि हेतु किए गए आटो-डेबिट के ऑकड़े प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
(कार्रवाई - समस्त बैंक)</td><td>
<table>
<tr><th>योजना</th><th>पंजीकृत खाताधारकों की संख्या</th><th>आटो-डेबिट किए गए खातों की संख्या</th></tr>
<tr><td>पीएम - एसबीवाई</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>पीएम - जेजेबीवाई</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>एपीवाई</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में निम्न बैंक, जिनका ऋण-जमा अनुपात औसतन कम रहा है, उसे बढ़ाने के लिए वहाँ की संभाव्यता के अनुरूप रोडमैप तैयार करें, जिसके लिए “क्लस्टर फाइनेंस” को बढ़ावा देना आवश्यक है।
1. ओ.बी.सी.
2. सी.बी.आई.
3. पी.एण्ड एस.बी.
4. इलाहाबाद बैंक
5. यूको बैंक
6. विजया बैंक
7. इण्डियन बैंक
8. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
(कार्रवाई - समस्त बैंक / समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक)</td><td></td></tr>
</table>

3 बी.एस.एन.एल. राज्य के शेष 1397 एस.एस.ए. में टेलीकॉम कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने हेतु तैयार किए गए रोड मैप के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण दिनांक 30 जून, 2015 तक अवगत कराए।

(कार्रवाई - राज्य सरकार / भारत संचार निगम लि./निदेशक, टर्म)

1397 कनेक्टिविटी रहित एसएसए / क्लस्टर की प्रगति :

	31.03.2015 तक की स्थिति	30.06.2015 तक की प्रगति
ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी की उपलब्धतता	40	
वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी की उपलब्धतता	176	

निम्नलिखित शेष एस.एस.ए. / क्लस्टर में कब तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने हेतु आगामी वर्षों के लिए प्रस्तावित योजना	कनेक्टिविटी रहित चयनित एसएसए	कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की समय सीमा
एन.ओ.एफ.एन. प्रथम चरण	119	
एन.ओ.एफ.एन. द्वितीय चरण	458	
VSAT द्वारा कनेक्टिविटी	604	

4 सभी बैंक एम.एस.एम.ई. के दायरे में आने वाली इकाइयों को अधिक से अधिक संख्या में वित्तपोषित करें।

(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)

(` करोड़ों में)

इकाई	उद्योग क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	कुल
मुद्रा इकाई (रु. 10 लाख तक के ऋण)			
लघु इकाई			
मध्यम इकाई			

5 राज्य सरकार से अनुरोध है क बैंकों द्वारा ` 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति "स्टॉम्प शुल्क" से विमुक्त

<table>
<tr><td></td><td>रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि अधिकतर एस0एच0जी0 गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं और इस हेतु प्राप्त बैंक ऋण राशि का उपयोग कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जाता है।
(कार्रवाई - सचिव, वित्त / सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन)</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>क) समस्त बैंक अपने सभी खाताधारकों के खाते में “आधर कार्ड संख्या” को जोड़ने (Seeding of Aadhar Number in Bank Account) का कार्य शीघ्र पूर्ण कर, ऑकड़े एस.एल.बी.सी को प्रेषित करें।
ख) इसी क्रम में भारत सरकार से आग्रह है कि राज्य में “आधार कार्ड” बनवाने की प्रक्रिया में तीव्रता लाएं।
(कार्रवाई - केंद्र एवं राज्य सरकार / समस्त बैंक)</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>पिछले महीनों में हुई ओलावृष्टि , अत्यधिक वर्षों एवं आँधी-तूफान से फसलों को व्यापाक क्षति हुई है। प्रभावितों को राहत देने हेतु बैंकों ने उनके फसली ऋण खाते जो दिनांक 31.03.2015 को स्टैण्डर्ड खाते थे, को रिस्ट्रक्चर करते हुए किशत की वसूली में एक वर्ष की अवधि हेतु मॉरोटोरियम दिया है।</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">कुल कृषि ऋण खातों की संख्या</th><th colspan="2">पुनर्गठन व राहत हेतु पात्र ऋण खातों की संख्या</th><th colspan="2">बैंक द्वारा पुनर्गठित किए गए खातों की संख्या</th></tr>
<tr><td>के.सी.सी.</td><td>ए.टी.एल.</td><td>के.सी.सी.</td><td>ए.टी.एल.</td><td>के.सी.सी.</td><td>ए.टी.एल.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	दिनांक 30 जून, 2015 तक किए गए रिस्ट्रक्चर ऋणों के आँकड़े एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें। **(कार्रवाई - समस्त बैंक)**	
8	अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि राज्य की महत्वाकांक्षी योजना "वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन" हेतु भू-परिवर्तन संबंधी अध्यादेश सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसे निदेशक, पर्यटन के माध्यम से बैंकों के उपयोग हेतु को उपलब्ध करा दिया जाएगा। **(कार्रवाई - सचिव, पर्यटन / निदेशक, पर्यटन)**	
9	बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने हेतु तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट कराकर बैंकों को उसके उपयोग हेतु अनुमति प्रदान दी जाए। **(कार्रवाई - सचिव, राजस्व)**	
10	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को निर्देशित किया गया कि खरीफ व रबी की नोटिफाइड क्रॉप को बीमित करने हेतु अधिसूचना आगामी वर्षों के लिए एक साथ ही जारी करवाने की समूचित व्यवस्था करें। **(कार्रवाई - एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी)**	

11	समस्त संबंधित राज्य सरकार के विभागों को निर्देशित किया गया कि विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रायोजित आवेदन पत्रों को वित्तीय वर्ष के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में क्रमश: 33%, 33% एवं 34% के अनुपात में बैंकों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्रवाई - संबंधित विभाग)**	
12	सभी बैंक नियंत्रक जून, 2015 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी **1-4**9 पूर्णत: जाँच करने के उपरांत सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक 15 जूलाई, 2015 तक एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर ऑन-लाइन प्रेषण करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)**	

****